

हरियाणा सरकार



पूर्व में बेचे गये सामान की भांति अस्पताल से नीलामी के माध्यम से वन विभाग द्वारा दिये गये रेट के आधार पर नीलाम करवाकर बेच दिया जाये। पेडों की नीलामी के बारे में नियम एवं शर्तें निम्नप्रकार से थी:-

- 1- बोली निर्धारित की गई तिथि एवं समय पर की जायेगी।
- 2- दिनांक 24-09-2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नीलामी की बोली करवा ली जाये।
- 3- बोलीदाता द्वारा 1000/- रू० की प्रतिभूति राशि बोली लगाने से पूर्व नकद जमा करवानी होगी।
- 4- बोली होने उपरान्त सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की प्रतिभूति तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
- 5- जिस भी सफल बोलीदाता के नाम बोली छूटेगी उसे एक सप्ताह के अन्दर-2 पेडों को हटाना होगा।
- 6- बोली छूटने पर यदि सफल बोलीदाता पेडों को नहीं हटाता है तो बोलीदाता की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी व द्वितीय बोलीदाता को बुलाया जाएगा।
- 7- बोली की तिथि एवं समय तथा बोली रद्द करने का अधिकार कमेटी को होगा।
- 8- बोली की निर्धारित तिथि एवं समय निर्धारित होने उपरान्त श्री अरुण कुमार, क्लर्क पेडों की नीलामी करने बारे नोटिस जिला नूह के मुख्य-2 स्थानों पर लगाकर फोटो साथ संलग्न करेंगे व सफल बोलीदाता की प्रतिभूति व नीलामी की रकम को लेखाशाखा में जमा करवाया जायेगा।
- 9- निर्धारित नीलामी की तिथि से पूर्व अभिरूचि बोलीकर्ता संस्थान के उक्त पेडों का निरीक्षण कर लें।



सम्पदा प्रभारी

शा0ह0खा0मे0, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
नल्हड, नूह।